बिहार सरकार

विकसित बिहार के 7 निश्चय

"आर्थिक हल, युवाओं को बल"

के तहत

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम

के लिए ऑनलाईन निबंधन एवं आवेदन की प्रक्रिया

ऑनलाईन पोर्टल पर निबंधन के लिए

(1) वेबसाईट www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर लॉग-इन करें।
(2) New Registration को क्लिक करें।
(3) प्रदर्शित वेब पोर्टल में नाम, मोबाईल नं०, ई-मेल आई०डी० एवं चित्र में प्रदर्शित characters को दर्ज करें।
(4) "Send OTP" बटन को क्लिक करें।
(5) दर्ज मोबाईल नं० एवं ई-मेल पर OTP (One time Password) प्राप्त होगा।
(6) प्रदर्शित वेब पोर्टल में OTP दर्ज करें तथा confirmation बटन दबायें। यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड आपके द्वारा दर्ज मोबाईल नं० एवं ई-मेल पर प्राप्त होगा।
(7) प्राप्त यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड के साथ पुनः वेब पोर्टल पर लॉग-इन करें।
(8) पासवर्ड बदलने के विकल्प के साथ नया पेज खुलेगा।
(9) पुराना तथा नया पासवर्ड दर्ज कर Submit बटन दबाने पर पासवर्ड बदलने एवं निबंधन की प्रक्रिया पूर्ण होगी, अब आप तत्काल या बाद में कभी भी इस user id एवं Password से login कर Online आवेदन कर सकते है।

योजना हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया

(1) वेबसाईट www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर यूजर आई०डी० एवं नये पासवर्ड का उपयोग कर लॉग-इन करें।
(2) पोर्टल पर व्यक्तिगत सूचना भरने हेतु पेज प्रदर्शित होगा जिसमें व्यक्तिगत सूचना दर्ज कर Submit बटन दबायें। Confirm करने हेतु OK बटन दबायें।
(3) आवेदक इसके बाद Next बटन दबायें जिसके बाद तीनों योजनाओं का विकल्प प्राप्त होगा जिसमें से अपनी पात्रता के अनुसार किसी एक का चयन करने हेतु Apply बटन को क्लिक करें।
(4) प्रदर्शित पेज में योजना का लाभ लेने हेतु वांछित सूचनाएँ दर्ज करें।
(5) प्रत्येक घोषणा के विरूद्ध बने बॉक्स को क्लिक करें तथा Submit बटन दबायें।
(6) आवेदन की पावती युनिक आई-डी के साथ मोबाईल नं० तथा ई-मेल पर प्राप्त होगी।
(7) भरे गये आवेदन की PDF प्रति भी ई-मेल पर प्राप्त होगी।
(8) चयनित जिले के DRCC पर आने की सूचना कुछ दिनों में SMS/email से भेजी जाएगी जिसमें तिथि एवं समय अंकित होगा।

जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आने से पूर्व

(1) अपने email से आवेदन की प्राप्त PDF प्रति डाउनलोड करें।
(2) PDF प्रति के निर्धारित स्थान पर फोटो चिपकायें एवं आवेदन को हस्ताक्षरित करें।
(3) PDF प्रति में दिये गये वांछित कागजातों के अनुसार मूल प्रति एकत्र कर लें तथा पूरे सेट की एक छायाप्रति भी तैयार करें।
(4) कागजातों की छायाप्रति को स्व-अभिप्रमाणित करें।
(5) फोटोयुक्त हस्ताक्षरित PDF प्रति, सभी मूल कागजात तथा सभी कागजातों की स्वभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संसूचित तिथि/समय पर जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर जायें।

निबंधन एवं आवेदन करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ

- वेब पोर्टल पर अपना वही नाम दर्ज करें जो मैट्रिक (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र या आधार कार्ड में अंकित है।
- ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व आवेदन प्रपत्र की हार्ड कॉपी पर सभी सूचनाओं को भर कर रख लें ताकि ऑनलाईन फार्म भरना आसान हो।
- व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र में सही तथ्य भरें। गलत सूचना दर्ज करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
- अपना यूनिक आई०डी० नंबर याद रखें ताकि भविष्य में उसका उपयोग कर आपके द्वारा आवेदन के स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सके।
- Submit बटन दबाने के पूर्व दर्ज save as draft का बटन दबाकर दर्ज सूचनाओं को जाँच लें क्योंकि Submit बटन दबाने के बाद दर्ज व्यक्तिगत एवं वांछित सूचनाओं में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकेगा।
- पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही Submit बटन दबायें।

सुगमतापूर्वक सेवा प्राप्त करने हेतु

- अपना आधार कार्ड एवं आवासीय प्रमाण-पत्र बनवा लें।
- किसी अनुसूचित बैंक में अपना खाता खुलवा लें।
- अपना ई-मेल आई०डी० बनवा लें।
- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए अपना एवं अभिभावक/सह-अभिभावक का पैन कार्ड भी बनवा लें तथा अभिभावक/सह-आवेदक का भी किसी अनुसूचित बैंक में खाता खुलवा लें।
- इन योजनाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी टॉल फ्री नं० 18003456444 से प्राप्त की जा सकती है।

IPRD-7601 S(Planning)16-17

आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।

यदि उपर्युक्त वर्णित पोर्टल को लॉग-इन करने में कठिनाई हो, तो तत्काल तीनों योजनाओं की आवेदन पत्रों के प्रारूप की हार्डकॉपी www.prdbihar.gov.in से डाउनलोड कर सूचनाओं को भर लें एवं आवश्यक कागजात जुटा लें ताकि आवेदन के प्रारूप में भरी गई सूचनाओं को देखकर आप ऑनलाईन आवेदन पत्र भर सकें। ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात SMS एवं e-mail द्वारा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आने की सूचना मिलने के पश्चात ही केन्द्र पर आए।

शिक्षा विभाग, योजना एवं विकास विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी